# संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्मों की पेनल वर्ष 2023-24 के लिये सामान्य निर्देश एवं शर्तें

**परिशिष्ट-ब**

1. संपरीक्षक / संपरीक्षक फर्मों की पेनल हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन प्रक्रिया से ही जमा किये जाएंगे।
2. आवेदन हेतु परिशिष्ठ 'अ' , 'ब' एवं 'स' में दर्शित नियम एवं शर्तो के लिए अवधि की गणना 01.01.2024 की स्थिति पर की जावेगी तथा 01.01.2024 की स्थिति के अभिलेख प्राप्त न होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।
3. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी बैंकों की वैधानिक संपरीक्षा के लिये संपरीक्षक/ संपरीक्षक फर्म को न्यूनतम 03 वर्ष का वाणिज्य बैंकों के वैधानिक अंकेक्षण का अनुभव होना अनिवार्य है।
4. किसी संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म द्वारा यदि म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक अथवा 38 जिला सहकारी बैंक में से किसी भी बैंक का वर्ष 2021-22 और 2022-23 का वैधानिक अंकेक्षण किया गया है, तो आगामी 02 वर्ष तक उक्त फर्म को किसी भी जिला सहकारी बैंक अथवा म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक का अंकेक्षण आवंटन नहीं किया जावेगा।
5. फर्म में न्यूनतम एक **DISA/CISA** प्रमाण पत्र धारी सनदी लेखापाल फुलटाईम-पार्टनर/पेड एम्पलाई चार्टर्ड एकाउन्टेंट होना आवश्यक है। यदि फर्म का कोई चार्टर्ड एकाउन्टेंट - पेड एम्पलाई सीसा/डीसा धारी है तो ऐसे कर्मचारी की न्यूनतम 02 वर्ष से फर्म से संबद्धता होना अनिवार्य है।
6. संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक के आवेदन, फर्म के पंजीकृत मुख्यालय (फर्म कंस्टीयूशन सर्टिफिकेट/फर्म कार्ड) म.प्र. में होने पर ही स्वीकार्य होंगे।
7. फर्म की अर्हता का परीक्षण आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के साथ ही आई.सी.ए. आई. संस्थान से तथा अन्य नियामकों से प्राप्त अभिलेखों से किया जा सकेगा तथा अद्यतन स्थिति के आधार पर पात्रता तथा अपात्रता का निर्धारण किया जावेगा।

8. किसी सहकारी संस्था का ऑडिट आवंटन प्राप्त होने पर फर्म को निर्दिष्ट अर्हताओं एवं अन्य मापदंडो (फर्म के किसी पार्टनर एवं स्टॉफ की मृत्यु हो जाने की स्थितियों को छोड़कर) का पालन आवंटित संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पूर्ण होने तक करना अनिवार्य है। यदि फर्म की स्थापना में कोई परिवर्तन आता है तो अविलंब सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

9. किसी संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म/(Individual C.A.) के पार्टनर अथवा पेड एम्पलाई अथवा प्रोफेशनल स्टॉफ के किसी अन्य फर्म में पार्टनर, पेड एम्पलाई अथवा एसोसिएट होने की स्थिति में उक्त फर्मों में से किसी एक फर्म का ही आवेदन स्वीकार होगा। जिस फर्म का आवेदन पहले प्राप्त होगा वही स्वीकार किया जावेगा तथा अन्य फर्मों के आवेदन निरस्त किये जावेंगे।

10. किसी संस्था से राशि रू 10000/- या उससे अधिक ऋण फर्म के किसी पार्टनर/पेड चार्टर्ड एकाउन्टेंट/प्रोफेशनल स्टाफ को स्वीकृत किया गया है तो ऐसी स्थिति में उक्त फर्म संबंधित संस्था के अंकेक्षण आवंटन हेतु अपात्र होगी।

11. संस्था में नियुक्त संचालक, सलाहकार या स्थायी अथवा संविदा के रूप में कार्यरत संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म के अधिकारी/कर्मचारी उक्त संस्था की वैधानिक संपरीक्षा हेतु अपात्र होंगे।

12. नवीन आवेदकों (वर्ष 2022-23 की अनुमोदित सूची में सम्मिलित नहीं है) को पंजीयन शुल्क राशि रूपये 500/- शासकीय कोषालय की मद 0425-00-800-0000 सहकारिता, 800- अन्य प्राप्तियां में मध्यप्रदेश कोषालय के वेबपोर्टल **WWW.MPTREASURY.ORG** अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा की जानी है।

13. आवेदन की जांच उपरान्त यदि आवेदित श्रेणी से निम्न श्रेणी की पात्रता आती है तो निम्न श्रेणी में अथवा अपात्र होने पर अपात्रता की श्रेणी में रखा जावेगा।

14. निर्धारित मापदंडों में फर्म में फुल टाइम/अनन्य (Exclusive) पार्टनर की गणना में ऐसे पार्टनर को सम्मिलित नहीं किया जाना है जो कि किसी अन्य फर्म में पार्टनर के रूप में अथवा कर्मचारी के रूप में संबद्ध है और पार्टनर की स्वयं के नाम से

अन्य कोई प्रोपराइटरी फर्म नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार प्रोपराईटरी फर्म तथा Individual Practising F.C.A के आवेदक का भी अनन्य ना आवश्यक है।

15. संपरीक्षक फर्म को किसी शासकीय एजेंसी, एन.एफ.आर.ए.(NATIONAL FINANCIAL REPORTING AUTHORITY) चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान, आर.बी.आई. या अन्य वित्तीय नियामकों के द्वारा यदि कार्य करने से वंचित किया गया है तो ऐसी स्थिति में फर्म को पेनल में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

16. यदि सक्षम अधिकारी को यह ज्ञात होता है कि संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म द्वारा लेखा परीक्षा कार्य में नियम व प्रक्रिया विरूद्ध आचरण किया गया है तथा सोसायटी के क्रियाकलापों, अनियमितता, गबन, कपटपूर्ण आचरण को छुपाया गया है या छुपाने में सहायक रहा है तो उस संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म का नाम संबंधित पैनल से हटाते हुए स्थगन/निलम्बित/ब्लेक लिस्ट/निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। किसी भी संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म को पेनल में से हटाने/निलंबित करने का रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवाद प्रकरण सुनवाई हेतु रजिस्ट्रार को निर्देशित होगा तथा सुनवाई उपरांत अंतिम निर्णय रजिस्ट्रार का होगा जो सर्वसंबंधितों को स्वीकार होगा।

17. वर्ष 2022-23 का वैधानिक अंकेक्षण आवंटन आदेश फर्म को प्राप्त होने पर यदि पूर्व में सहमति दिये जाने के उपरान्त किसी संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म के द्वारा प्रस्ताव अमान्य किया गया है तो उक्त फर्म को वरिष्ठता मापदण्ड में प्राप्त अंकों में से 10 अंकों की कमी की जावगी। यदि फर्म के द्वारा 02 वर्षों अर्थात् वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कोई अंकेक्षण आवंटन प्रस्ताव अमान्य किया है तब ऐसी स्थिति में उक्त फर्म को पेनल में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

18. यदि किसी फर्म की विगत वर्षों में अंकेक्षण कार्य असंतोषजनक पाया गया है तो फर्म के 10 प्रतिशत अंक कम किये जाएंगे, परन्तु असंतोषजनक कार्य के संबंध में फर्म को निर्गमन पत्र अथवा पृथक से सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

19. संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, नियम 1962, संस्था की उपविधि, पंजीयक/आरबीआई/नाबार्ड तथा संस्था से

संबंधित अन्य प्रशासकीय/वैधानिक निर्दिष्ट व्यवस्था एवं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

**20.** संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में संस्था के समस्त कार्यकलापों का परीक्षण कर तथ्यात्मक टीप अंकेक्षण प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से शामिल करनी होगी।

**21.** संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को पंजीयक द्वारा या उनके प्रतिनिधि द्वारा लेखा समिति तथा अन्य आमंत्रित बैठकों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में बुलाये जाने पर संबंधित फर्म को उपस्थित होना आवश्यक होगा।

**22.** किसी भी संस्था में अंकेक्षण कार्य के समय न्यूनतम 01 सनदी लेखापाल का उपस्थित होना अनिवार्य है। बैंक अंकेक्षण के लिये सीसा/डीसा धारी सनदी लेखापाल का होना आवश्यक है। प्राधिकृत संपरीक्षक एवं अधीनस्थ अमला अपनी पहचान के परिचय पत्र अंकेक्षण के दौरान अपने पास रखेंगें।

**23.** प्राधिकृत संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 87 के प्रावधान के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु लोक सेवक समझे जायेगे।

**24.** संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को संपरीक्षा प्रतिवेदन के अतिरिक्त गंभीर अनियमितताओं के संबंध में सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 (ख) के तहत विशेष प्रतिवेदन पंजीयक को पृथक से प्रस्तुत करना होगा।

**25.** सहकारी संस्थाओं द्वारा जारी होने वाले अंकेक्षण आवंटन आदेश प्राप्त होने के 07 दिवस में संबंधित संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म को फर्म के मुख्यालयीन जिले के पंजीयक कार्यालय को संसूचित करना व उनके द्वारा लेखापरीक्षित सोसाइटियों की सूचना एवं रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

**26.** (1.) श्रेणी–क में सम्मिलित संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म श्रेणी–ख एवं ग में वर्गीकृत संस्थाओं का भी अंकेक्षण कर सकेंगी।

(2.) श्रेणी–ख में सम्मिलित संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म श्रेणी–ग में वर्गीकृत संस्थाओं का भी अंकेक्षण कर सकेंगी।

(3.) श्रेणी–ग में सम्मिलित संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म केवल श्रेणी–ग में वर्गीकृत संस्थाओं का ही अंकेक्षण कर सकेंगी।

(4.) किसी भी संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म को 01 वित्तीय वर्ष में 05 से अधिक संस्थाओं की वैधानिक संपरीक्षा आवंटित नहीं की जावेगी। जिसमें 01 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अथवा म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक अधिकतम हो सकती है। **(आर.बी.आई. के नवीन निर्देशों में 01 फर्म 01 वर्ष में अधिकतम 04 नागरिक बैंकों का अंकेक्षण कर सकती है)** सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन होने पर अंकेक्षण आवंटन निरस्त करने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

**27.** किसी संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को किसी संस्था की निरंतर दो वर्ष से अधिक वर्ष की संपरीक्षा आवंटित नहीं की जावेगी। शीर्ष बैंक एवं 38 जिला सहकारी बैंकों की संपरीक्षा के संबंध में कंडिका 04 अनुसार आवंटन की कार्रवाई की जावेगी। किसी सहकारी संस्था के आंतरिक / सतत् अंकेक्षक/सलाहकार को उसी संस्था की वैधानिक संपरीक्षा आवंटित नहीं की जावेगी।

**28.** अधिनियम की धारा 58(1) (ड) के तहत पंजीयक द्वारा संपरीक्षा प्रतिवेदन परीक्षित किये जाने के पश्चात म.प्र. शासन की अधिसूचना में उल्लेखित दरों के आधार पर लेखी आदेश जारी होने के उपरान्त भुगतान किया जा सकेगा।

**29.** म0प्र0 राजपत्र की अधिसूचना क्रमांक 317 दिनांक 05.08.2015 के बिन्दु क्रमांक 15 में विहित कालावधि के पश्चात् संपरीक्षा रिपोर्ट के विलंब से प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में, संपरीक्षक फर्म को देय पारिश्रमिक में 10 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से कटौत्री की जायेगी।

**30.** संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम क्रमांक 50(15) के प्रावधान के तहत अंकेक्षण टीप एवं सहपत्र राजभाषा हिन्दी में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यदि पंजीयक द्वारा किसी वर्ग की संस्था के लिये कोई संपरीक्षा प्रतिवेदन का प्रारूप जारी किया गया है तो उस प्रारूप में ही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रतिवेदन कार्यालय में स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

31. अधिनियम की धारा 58 एवं नियम 50 (5 एवं 6) के तहत संपरीक्षा के संचालन प्रक्रिया के तहत संपरीक्षा कार्य की समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक अधिकारिता जिला/संभाग/मुख्यालय के सक्षम अधिकारियों को दी गई है। सनदी लेखापाल फर्म/सनदी लेखापाल अंकेक्षण कार्य के लिये उक्त अधिकारिता के तहत निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

32. यदि किसी फर्म के विरूद्ध किसी भी नियामक के स्तर से कोई कार्रवाई की गई है अथवा प्रक्रियाधीन है तो ऐसी स्थिति में फर्म को ऐसी कार्रवाई के प्रारंभ होने की तिथि से 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा।

33. **मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-58 तथा इसके साथ विरचित नियम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम-50 में जो भी परिवर्तन होते है, उनका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।**

---00---